कार्यालय नगर पंचायत रूद्रपुर, देवरिया

निविदा आमंत्रण – सूचना

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि मे से नगर पंचायत रूद्रपुर में कराये जाने वाले निम्नलिखित निर्माण कार्यो को कराये जाने हेतु वर्ष 2015–16 के पंजीकृत एव नवीनीकृत ठेकेदारों से दिनांक 27–05–2016 को 14.00 बजे तक मुहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। आमंत्रित निविदाओं को नगर पंचायत कार्यालय रूद्रपुर व जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया पर रखें गये निविदा पेटिकाओं में दिनांक 27–05–2016 को 14.00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। जिसे उसी दिन जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया पर अधोहस्ताक्षरी / सक्षम अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) व उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष 16.00 बजे खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 26–05–2016 को समय 10.30 बजे से 16.00 बजे तक नगर पंचायत कार्यालय रूद्रपुर व जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ अग्रिम जमानत के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि एन0एस0सी0 / के0वी0 पी0 / एफ0डी0 आर0 आदि जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रूद्रपुर के पद नाम बंधक हो प्रति कार्यो हेतु अलग–अलग संलग्न कर उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करते हुए जमा करना अनिवार्य है। निर्माण कार्यो एवं जमानत धनराशि से सम्बन्धित बिस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पंचायत रूद्रपुर से कार्यालय समय एवं दिवस मे की जा सकती है।

नियम एवं शर्ते :–

1. निविदादाताओं को अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी अद्यतन हैसियत व चरित्र प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. निविदा के साथ अग्रिम जमानत के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि एन0एस0सी0 / के0वी0 पी0 / एफ0डी0 आर0 आदि जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रूद्रपुर के पद नाम बंधक हो प्रत्येक कार्यो हेतु अलग–अलग संलग्न कर उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करते हुए जमा करना अनिवार्य है।
3. निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र में दर प्रतिशत आधार पर भरे जायेंगे तथा निर्धारत समय तक निविदा को नगर पंचायत कार्यालय रूद्रपुर व जिलाधिकारी कार्यालय टी0 ए0 सी0 पटल देवरिया परं रखे गये निविदा पेटिका में डालना होगा।
4. एक या समस्त निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पंचायत रुद्रपुर को सुरक्षित है।
5. आगणन में उल्लिखित आइटमो हेतु रेट अलग अलग नहीं भरे जायेंगे।
6. निविदा प्रपत्र पर निविदादाता का स्पष्ट हस्ताक्षर एवं पूरा पता एवं मोबाइल नम्बर अंकित होना चाहिए।
7. निविदा स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा,तथा नियत समय के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक है, अन्यथा बिलम्ब की दशा में जमानत धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
8. प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु उल्लिखित आगणन की दरें लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित हैं उक्त आगणन में किसी प्रकार की भिन्नता / अन्तर की स्थिति में लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित दरों पर ही आकलित किया जायेगा।
9. ऐसे ठेकेदार जो वर्ष 2015–16 हेतु अपने ठेकेदारी पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराये हैं वे निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
10. निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात छः माह तक कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर जमानत जब्त कर ली जायेगी।
11. ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय के अन्दर कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में बिलम्ब पर नियमानुसार अर्थ दण्ड देय होगा, एवं जमानत धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
12. अनुबन्ध हेतु स्टाम्प पेपर (कोषागार) ट्रेजरी से सीधे क्रय करना अनिवार्य होगा।
13. निविदा प्राप्त करने की तिथि मे यदि अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस में निविदा प्राप्त व खोली जायेगी।
14. निविदा में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
15. कार्यो की विस्तृत जानकारी व अन्य शर्तें किसी भी कार्य दिवस में नगर पंचायत रूद्रपुर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16. कार्य हेतु ठेकेदार अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य में व्यवधान,अभद्रता,दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) में करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज करायी जायेगी।
17. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जमानत धनराशि नकद रूप में भी जमा की जा सकती है, परन्तु उस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
18. जिन ठेकेदारों / फर्मों द्वारा नगर पंचायत रूद्रपुर में पूर्व में लिए गये कार्यों को पूर्ण नहीं कराया गया है वे निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। ऐसे ठेकेदारों के टेण्डर पर कोई विचार नही होगा।
19. निविदा फार्म उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा जिनके नाम से फर्म का रजिस्ट्रेशन हो तथा क्रेता को अनिवार्य रूप से निविदा क्रय करते समय विक्रेता को रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित अभिलेख व जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी अद्यतन हैसियत व चरित्र प्रमाण पत्र का मूल प्रति दिखाना होगा।
20. इस विज्ञापन को www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	10 प्रति0 जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	सेमरौना पुल के पास से श्मशान घाट तक बथुआ नाले के सिल्ट की सफाई का कार्य।	494000.00	49400.00	500.00	कार्यादेश प्राप्ति से दो माह
2	सेमरौना पुल के नीचे चबूतरा व सीढी निर्माण कार्य।	1133600.00	113400.00	1150.00	कार्यादेश प्राप्ति से दो माह
3	सेमरौना पुल के पश्चिम तरफ निर्मित सीढीं के बगल में सीढी निर्माण कार्य।	1119200.00	112000.00	1150.00	कार्यादेश प्राप्ति से दो माह
4	डीह राजा के स्थान का सुन्दरीकरण कार्य।	324550.00	32500.00	350.00	कार्यादेश प्राप्ति से दो माह
5	सीता यादव के पीछे स्थित नाला पर स्लैब निर्माण कार्य।	537600.00	53800.00	550.00	कार्यादेश प्राप्ति से दो माह

6	त्रिभुवन निगम के बगल में उत्तर तरफ क्रासिंग निर्माण कार्य।	1521700.00	152200.00	1600.00	कार्यादेश प्राप्ति से दो माह
7	नगर पंचायत रुद्रपुर में विभिन्न स्थानो/वार्डो हेतु स्लैब निर्माण कार्य।	234800.00	23500.00	300.00	कार्यादेश प्राप्ति से दो माह

(मुकेश कुमार चौधरी)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रूद्रपुर
देवरिया

(छट्ठे लाल निगम)
अध्यक्ष
नगर पंचायत रूद्रपुर
देवरिया

पत्रांक 79(3) /न0पं0रू0/ 2015–16 दिनांक 18 –05–2016

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 जिलाधिकारी, देवरिया।
2 अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी (स्था0 नि0) देवरिया।
3 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को कार्यो की सूची एवं सीडी www.deoria.nic.in पर प्रकाशनार्थ ।
4 अवर अभियन्ता नगर पंचायत रूद्रपुर देवरिया।
5 अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया/गौरा बरहज/नगर पंचायत सलेमपुर/लार/मझौली राज/भटनी बाजार/भाटपार रानी/रामपुर कारखाना/गौरीबाजार।
6 अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0/जल निगम/सिंचाई विभाग देवरिया।
7 अध्यक्ष जिला पंचायत, देवरिया।
8 कार्यालय नगर पंचायत के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
9 विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" गोरखपुर व "राष्ट्रीय सहारा" गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापन का प्रकाशन अपने समाचार पत्र के अगले अंक में न्यूनतम स्थान में कराकर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत
देवरिया

अध्यक्ष
नगर पंचायत रुद्रपुर
देवरिया